बोनस में पिछले साल से चार गुना कम मिलेगी राशि

- महज 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने से बनी स्थिति
- पिछले वर्ष प्रति क्विंटल 175 रुपए दी गई थी बोनस की राशि

कन्हैया लोधी

भोपाल, 13 मार्च. राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, इस वर्ष वैसे किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार लगातार बड़े निर्णय ले रही है, लेकिन इस बीच गेहूं उपार्जन के मामले में किसानों के प्रति दरियादिली दिखाने में हाथ खींच लिए गए हैं.

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं उपार्जन पर 175 रुपए बोनस दिया था, लेकिन इस बार बोनस की राशि को प्रति क्विंटल महज 40 रुपए देने की ही घोषणा की गई है, इसका असर ये होगा कि मप्र में पिछले वर्ष के मुकाबले किसानों को चार गुना से भी कम राशि बोनस के रूप में मिल सकेगी.

उपार्जन वर्ष 2025-26 की अवधि में राज्य सरकार ने प्रदेश में किसानों को प्रति क्विंटल भारी-भरकम बोनस राशि देने की घोषणा की थी, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश के लगभग 9.5 लाख किसानों को1360 करोड़ रुपए की राशि केवल बोनस के रूप में दी गई थी. इस अवधि में राज्य सरकार ने 77.74 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदी की थी. इस दौरान प्रति क्विंटल बोनस के साथ 2600 रुपए में खरीदी की गई थी. बोनस के अलावा उपार्जन के लिए राज्य सरकार ने किसानों को 20214 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया था. वहीं वर्ष 2024-25 की अवधि में भी राज्य सरकार ने किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस का भुगतान किया था. इस सीजन में किसानों को केवल बोनस के रूप में ही 605 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था. इस सीजन में प्रदेश में महज 48.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का ही उपार्जन किया जा सका था, जिसके उपार्जन पर बोनस के अलावा राज्य सरकार ने 11607.59 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी.

एमएसपी बढ़ा, लेकिन बोनस घटाया

केंद्र सरकार ने मौजूदा सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है. ये पिछले वर्ष के मुकाबले 160 रुपए अधिक है. पिछले वर्ष एमएसपी प्रति क्विंटल 2425 रुपए तय किया गया था. वहीं इस बार एमएसपी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई तो राज्य सरकार ने बोनस की राशि में कटौती कर दी. महज 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने पर सरकार के खजाने पर लगभग 310 करोड़ रुपए का ही वित्तीय भार आएगा, जो कि पिछले वर्ष दिए गए 1360 करोड़ रुपए के मुकाबले चार गुना से भी कम है. पिछले वर्ष किसानों को एमएसपी और बोनस मिलाकर प्रति क्विंटल 2600 रुपए मिले थे, वहीं इस बार एमएसपी और बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे. इस तरह पिछले वर्ष के मुकाबले प्रति क्विंटल महज 25 रुपए ही अतिरिक्त मिलेंगे.

उपार्जन पर पड़ सकता है असर

प्रदेश में महज 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने से गेहूं के उपार्जन पर असर पड़ सकता है. राज्य सरकार ने एक करोड़ मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन के हिसाब से तैयारी की है. लेकिन बोनस की राशि कम मिलने से किसान मंडी के बजाय बाहर बेचने को प्राथमिकता दे सकते हैं.

350 सिलेंडर जब्त, दो के खिलाफ एफआईआर

- मंत्रिमंडल समिति की बैठक में दी गई जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 मार्च. देश के साथ प्रदेश में भी पेट्रोलियम और रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजरी पर नियंत्रण के लिए लगाई गई एस्मा के बाद लगातार कार्यवाही की जा रही है. अभी तक 115 स्थानों पर जांच की गई, 350 सिलेण्डर जब्त किये गए, वहीं दो के खिलाफ एफआईआर की गई है.

यह जानकारी शुक्रवार को पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाक्रम एवं मध्य पूर्व देशों के दृष्टिगत प्रदेश में पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा के लिए गठित मंत्रि मंडल समिति की बैठक में दी गई . कमेटी गठित होने के बाद पहली बैठक मंत्रालय में हुई.बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवडा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, द्वारा समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए. मंत्री काश्यप वर्चुअली शामिल हुए. बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई. बैठक में प्रदेश के प्रवासियों को खाड़ी देशों से सुरक्षित लाने के लिये किये गये उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई. उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एलपीजी गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.

अनियमितता पाये जाने पर करें तत्काल कार्रवाई

बैठक में गैस एजेंसियों के संचालन, सिलेंडर वितरण की समयबद्धता और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यदि कहीं वितरण व्यवस्था में अनियमितता या विलंब की शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए.

एक नजर में

पवन शाह हत्याकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार

सिंगरौली. मोरवा थाना क्षेत्र के साईनगर निवासी 15 वर्षीय पवन शाह की हत्या के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इस जघन्य वारदात में एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस के अनुसार 9 मार्च की रात करीब 9:20 बजे पवन शाह अचानक लापता हो गया था. इसके बाद 11 मार्च को उसका शव पिपरखड़ गांव के एक सूने मकान में मिला. मामले में संदेह के आधार पर पुलिस ने इरशाद, पंकज गुप्ता और एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि 9 मार्च की रात करीब 10:30 बजे पवन की पत्थर से पीटकर हत्या कर दी गई थी. कुछ लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-39 को बाधित करते हुए पुलिस लाइन में तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी की.

पूर्व फौजी से अभद्रता थाना प्रभारी लाइन अटैच

भिंड. जिले के मिहोना थाने में रिटायर फौजी के साथ थाना प्रभारी द्वारा की गई अभद्रता से नाराज भूतपूर्व सैनिक संगठन के फौजियों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर थाने में पहुंचकर हंगामा किया. थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया. भिंड एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया, उसके बाद धरना समाप्त हो गया.

कार्बाइड परिसर में किया जायेगा भोपाल गैस मेमोरियल का निर्माण

- हाईकोर्ट ने सरकार को दिये कार्य योजना प्रस्तुत करने के आदेश

जबलपुर, 13 मार्च. सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जानकारी पेष की गयी कि यूनियन कार्बाइड परिसर में भोपाल गैस मेमोरियल बनाया जायेगा. इसके लिए अपर मुख्य सचिव भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजित की गयी थी.

बैठक में सफाई, टॉक्सिक वेस्ट को हटाने एव आस-पास की खराब मिट्टी और ग्राउंड वाटर के सुधार, खराब प्लांट स्ट्रक्चर के डिटॉक्सिफिकेशन और डीकंटैमिनेशन पर चर्चा की गयी. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के तहत तैयार इस कार्य के लिए शॉर्ट-टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह तथा जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने सरकार को कार्य योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है.

गौरतलब है कि साल 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रही है. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से पेश रिपोर्ट में बताया गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है. जहरीले कचरे से लगभग 900 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है. इस दौरान हाईकोर्ट में दायर की गयी अन्य याचिका में कहा गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख में रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रिय हैं, जो चिंता का विषय है. राख में मरकरी है, जिसे नष्ट करने की तकनीक सिर्फ जापान व जर्मनी के पास है. हाईकोर्ट ने उक्त याचिका की सुनवाई मुख्य याचिका के साथ किये जाने के आदेश जारी किये गये थे.

हाईकोर्ट ने उक्त आदेश वापस ले लिया था

याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने 8 अक्टूबर 2025 को जारी अपने आदेश में सरकार के द्वारा इंसानों की आबादी से सिर्फ 500 मीटर दूर लैंड फिलिंग का स्थान निर्धारित किया जाने पर रोक लगा दी थी. सरकार के आवेदन पर हाईकोर्ट ने उक्त आदेश वापस ले लिया था. पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया था कि जहरीले कचरे से निकाली राख की लैंड फिलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से उक्त जानकारी पेश की गयी.

'कुंभ गर्ल' मोनालिसा को वापस लाने की गुहार

- मोनालिसा को घर लाने सीएम से गुहार

खरगोन, 13 मार्च. खरगोन जिले के महेश्वर की चर्चित 'कुंभ गर्ल' मोनालिसा के पिता जयसिंह भोंसले ने बेटी को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को धोखे से फंसाया गया है और यह लव जिहाद का मामला है.

जयसिंह भोंसले ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जब वे अपनी बेटी से मिलने के लिए केरल गए तो उन्हें वहां से भगा दिया गया. उनका कहना है कि उनकी बेटी ने 'कुंभ गर्ल' के रूप में देशभर में पहचान बनाई थी और उन्हें उम्मीद थी कि वह आगे फिल्मों में काम कर अपना भविष्य बनाएगी. पिता का आरोप है कि फरमान खान नामक युवक ने उनकी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया. वहीं कुछ सामाजिक संगठनों के अधिकारियों ने भी इस मामले की जांच की मांग की है.

पेज एक का शेष

होर्मुज से निकलेंगे भारतीय जहाज

उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना युद्ध में दबाव बनाए रखेगी और अभियान को और तेज किया जाएगा. उनके मुताबिक बड़ी संख्या में फाइटर जेट और बॉम्बर विमानों से स्ट्राइक मिशन चलाए जाएंगे. इसी के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाहर निकलने के बाद गुजरात के कांडला बंदरगाह तक लगभग 1000 किमी की दूरी है. मुंबई तक दूरी 1450-1560 किमी तक है. तेल टैंकर 24-31 किमी/ घंटे की रफ्तार से चलते हैं. औसत गति 27.78 किमी प्रति घंटा मानें तो कांडला पहुंचने में 37 घंटे यानी डेढ़ दिन लगेंगे. मुंबई पहुंचने में करीब 53 घंटे यानी दो दिन से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. असल में मौसम, लोड और रूट के हिसाब से यह समय 2 से 3 दिन तक हो सकता है. ये जहाज बहुत भारी होते हैं इसलिए तेज नहीं चलते, लेकिन लगातार चलते रहते हैं.

पारधी हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे बरी

भोपाल, 13 मार्च. मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे को वर्ष 2007 के मुलताई पारधी दंपति हत्याकांड और उससे जुड़े हिंसा के मामले में अदालत से राहत मिली है. भोपाल की विशेष अदालत ने आज उन्हें इस मामले में बरी कर दिया.

यह फैसला माननीय न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे, इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एमपी एवं एमएलए) भोपाल की अदालत ने सुनाया. अदालत ने हत्या, आगजनी और दंगा भड़काने से जुड़े आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के आधार पर सुखदेव पांसे को दोषमुक्त कर दिया. यह मामला वर्ष 2007 में बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र में पारधी समुदाय के एक दंपति की हत्या और उसके बाद हुई हिंसक घटनाओं से जुड़ा था. इस प्रकरण में कई लोगों के खिलाफ हत्या, आगजनी और दंगा फैलाने के आरोप लगाए गए थे, जिनमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे का नाम भी शामिल किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अदालत में विभिन्न साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए गए. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वी.के. सक्सेना और संजय रावत ने अदालत में पूर्व मंत्री पांसे का पक्ष रखा और आरोपों को निराधार बताया. लंबे समय तक चली सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए सुखदेव पांसे को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

office 07652-245207 E-mail- distt.jailshahdol57@gmail.com

कार्यालय, अधीक्षक जिला जेल शहडोल, मध्यप्रदेश

क्रमांक 346 / निर्वाह / 2026 शहडोल दिनांक 07/03/ 2026

-: ई-निविदा सूचना द्वितीय बार वार्षिक ई निविदा आमंत्रण वर्ष 2026-2027 :-

जिला जेल शहडोल मे परिरूद्ध बंदियों के उपयोग में लगने वाली खाद्यान्न, सब्जियाँ, दवाईयाँ, स्वच्छता / विद्युत सामग्री, अन्य विविध सामग्री एवं भवन अनुरक्षण सामग्रियों के क्रय करने के लिए ई-निविदाएँ वर्ष 2026-2027 https:// www.mptender.gov.in पर द्वितीय बार ई-निविदा आंमत्रित गई है। इच्छुक व्यापारीगण निविदा फार्म एवं निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी वेबसाईट से प्राप्त करें । विवरण निम्नानुसार हैं ।

क्र.	विवरण	दिनांक / समय	स्थान
1	2	3	4
1.	प्री-विड मीटिंग	11.03.2026 / सुबह 11.00 बजे	जिला जेल शहडोल, (म.प्र.)
2.	ई-निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि (निविदा फार्म का मूल्य रू.05.00 लॉख तक 500.00 एवं रूपये 05.00 लाख से अधिक 1000.00 लेखा शीर्ष 0056 जेले, 800 अन्य प्राप्तियों में जमा की जावेगी ।	06.04.2026/ सायं 05.00 बजे तक	www.mptender.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
3.	ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	06.04.2026 / सायं 5.00 बजे तक	www.mptender.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
4.	सेम्पल जमा करने की अंतिम तिथि	06.04.2026 / सायं 05.00 बजे तक	www.mptender.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
5.	तकनीकी ई-निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज खोलने की अंतिम तिथि.	07.04.2026 / सायं 05.00 बजे	www.mptender.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
6.	वित्तीय ई-निविदा खोलने की तिथि.	08.04.2026 / सायं 05.00 बजे	www.mptender.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

नोट:- 01.- संबंधित व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि ई-निविदा के नियम व शर्तो का पालन करना अनवार्य है तथा निविदा की समस्त जानकारी www.mptender.gov.in की वेबसाईट पर प्राप्त की जा सकती हैं ।

(भास्कर पाण्डेय)
जेल अधीक्षक
जिला जेल शहडोल (म. प्र.)

G-27192/25

'दो ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण दर्शन' ट्रेन 10 जून से

भोपाल, 13 मार्च. तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 10 जून 2026 को इंदौर से 'दो ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण दर्शन यात्रा' के लिए रवाना होगी. इस विशेष ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन मिलेंगे.

यह ट्रेन मध्यप्रदेश के उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल और नागपुर स्टेशनों से गुजरेगी, जहां से यात्री इसमें सवार हो सकेंगे.

10 रात और 11 दिन की इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान यात्रियों को मीनाक्षी अम्मन मंदिर,

रामेश्वरम, कन्याकुमारी और तिरुपति बालाजी मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन मिलेंगे.

यात्रा के लिए पैकेज करीब ?20,250 प्रति व्यक्ति (स्लीपर-इकोनॉमी), ?33,500 (3 एसी-स्टैंडर्ड) और ?44,100 (2 एसी-कम्फर्ट) तय किए गए हैं. पैकेज में रेल यात्रा, ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड भोजन, स्थानीय भ्रमण के लिए बस सुविधा, आवास, टूर एस्कॉर्ट, यात्रा बीमा तथा सुरक्षा और हाउसकीपिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

वांछित यात्री बुकिंग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत संपत्तियों के माध्यम से करा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए भोपाल, जबलपुर और इंदौर स्थित बसों से भी संपर्क किया जा सकता है.

भोपाल मंडल चलेगी समर स्पेशल ट्रेनें

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने समर सीजन में अतिरिक्त सुविधा के लिए भोपाल मंडल चलेगी गोरखपुर, पुणे और मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है. ट्रेन नंबर 01415/01416 पुणे-गोरखपुर प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन 1 से 30 अप्रैल 2026 तक पुणे से सुबह 6:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 4 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन 2 अप्रैल से 1 मई तक गोरखपुर से शाम 5:30 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन पुणे पहुंचेगी. यह ट्रेन इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशन से गुजरेगी. इसके अलावा ट्रेन नंबर 01079/01080 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल 1 से 30 अप्रैल तक मुंबई से रात 10:30 बजे चलेगी. वापसी में यह ट्रेन 3 अप्रैल से 2 मई तक गोरखपुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी.

नाम सुधार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं रामनाथ साकेत पिता श्री विश्वनाथ साकेत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम डेलहा थाना व तहसील मैहर जिला मैहर म.प्र. का निवासी हूं। देविका साकेत मेरी पुत्री है, जिसका आधार क्रमांक 7919 5663 3899 तथा जन्म प्रमाण पत्र पंजीयन क्र. 25/25 दिनांक 24.01.2011 जारी दिनांक 11.08.2025 एवं जाति प्रमाण पत्र क्र. /784/0104/3634/2025 प्रकरण क्रमाक 6179/बी-121/जाति प्रमाण पत्र जारी दिनाक 01.09.2025 है। मेरे पुत्री के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराने के समय तकनीकी त्रुटिवश उसका नाम देविका साकेत के स्थान पर अंकिता चौधरी दर्ज हो गया है, जबकि उसके जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम देविका साकेत ही दर्ज है। उपरोक्त दोनो नाम मेरी एक ही पुत्री के नाम है। मेरी पुत्री के आधारकार्ड, में उसके जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों से भिन्न नाम दर्ज होने के कारण उसके अध्ययन हेतु आगे प्रवेश लेने व अन्य शासकीय कार्यों में असुविधा हो रही है, जिससे मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड, में उसके जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम अंकिता चौधरी के स्थान पर देविका साकेत दर्ज कराया जाय।

डायल-112 ने सड़क दुर्घटना में घायलों की बचाई जान

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 मार्च. रतलाम जिले में सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को डायल-112 की त्वरित कार्रवाई से समय पर अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गई. यह दुर्घटना थाना बड़ावदा क्षेत्र में हुई, जहाँ तूफान जीप और एक मिनी लोडिंग वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए.

अधिकारियों के अनुसार, 12 मार्च को भोपाल स्थित राज्य स्तरीय डायल-112 पुलिस कंट्रोल रूम को बाबा फरीद दरगाह के पास दुर्घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही तत्काल प्रथम प्रतिक्रिया वाहन (एफआरवी-13) को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुँचने पर आरक्षक अंतर सिंह और पायलट अंकित परमार ने पाया कि दुर्घटना में सात लोग घायल हो गए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल-112 टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को एफआरवी वाहन से सिविल अस्पताल जावरा पहुँचाया. घायलों को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है.

यह घटना डायल-112 हीरोज पहल के तहत मध्यप्रदेश पुलिस की त्वरित और समर्पित आपातकालीन सेवा को दर्शाती है.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन), लोक निर्माण विभाग, कोठी रोड, सिविल लाईन, सतना (म.प्र.)

E-mail-dpepiusatnaw@gmail.com Phone-07672-299470

घोष विक्रय विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन), लोक निर्माण विभाग सतना के अंतर्गत कलेक्टर मैहर के आदेश क्र./ 268 / 2025 मैहर दिनांक 15/09/2025 द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ विकासखंड अमरपाटन डाईस कोड 23130101814 में स्थित लगभग 45-50 वर्ष पूर्व निर्मित पुराने भवन के जीर्ण-शीर्ण होने पर ध्वस्तीकरण एवं अपलेखन की अनुमति प्राप्त हुई है।

अत: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ विकासखंड अमरपाटन स्थित जीर्ण-शीर्ण पुराने भवन के ध्वस्तीकरण एवं ध्वस्तीकरण कार्य से प्राप्त सामग्री की नीलामी हेतु घोष विक्रय विज्ञप्ति जारी की जाती है :-

1. बोली की राशि लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/ स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 16.03.2026 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन), लोक निर्माण विभाग सतना में प्राप्त की जावेगी । जिसके अंदर 2 लिफाफे होंगे। पहला लिफाफा में धरोहर राशि तथा दूसरे लिफाफा में बोली की राशि शब्दों एवं अंकों में उल्लेखित करना होगा।
2. धरोहर राशि जिसका ड्राफ्ट (धरोहर राशि) कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन), लोक निर्माण विभाग सतना के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बोलीकर्ता को जमा करना होगा। ड्राफ्ट निर्धारित राशि का होने पर ही प्राप्त बोली का लिफाफा दिनांक 17.03.2026 को सायं 4 बजे तक खोला जावेगा।
3. उच्चतम बोली की राशि द्वारा जारी एकजाई रूप से कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन), लोक निर्माण विभाग सतना के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा । अन्यथा बोली उसी दिनांक को निरस्त मानी जावेगी और धरोहर राशि राजसात की जावेगी ।
4. ध्वस्तीकरण एवं सामग्री कार्यस्थल से कार्यादेश दिनांक से 15 दिवस के अंदर उठाना अनिवार्य होगा। 15 दिवस के अंदर सामग्री नहीं उठाई गई तो उच्चतम बोलीकर्ता से 10 प्रतिशत उच्चतम बोली का प्रत्येक दिन के हिसाब से राशि वसूल की जावेगी।

क्र.	शासकीय भवन का विवरण	न्यूनतम बोली की राशि	कोटेशन लिफाफा	कोटेशन जमा करने का स्थान	धरोहर राशि	कोटेशन प्राप्त की अंतिम तिथि एवं समय
1	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ विकासखंड अमरपाटन स्थित जीर्ण-शीर्ण पुराने भवन के ध्वस्तीकरण एवं ध्वस्तीकरण कार्य से प्राप्त सामग्री की नीलामी	23,800/- रुपये	पंजीकृत डाक द्वारा अथवा कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर	कार्यपा लन यंत्री (भवन), लोक निर्माण विभाग सतना	2,380/- रुपये	दिनांक 16.03.2026 सायं 2 बजे तक

(इंजी. रोहित मरावी)
कार्यपालन यंत्री (भवन)
लोक निर्माण विभाग सतना (म.प्र.)

G-27212/25

कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)

नेशनल लोक अदालत

शनिवार, 14 मार्च 2026

सम्पत्तिकर, संलग्न करों एवं जल कर के अधिभार में 100% तक की छूट

अधिभार में निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगी

बकायादार की श्रेणी	छूट का प्रतिशत
1. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रु.तक	100%
2. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 1,00,000 रु.तक	50%
3. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 1,00,000 रु.से अधिक	25%
4. जल कर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000 रु. तक	100%
5. जल कर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रु. तक	75%
6. जल कर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रु.से अधिक	50%

बकायादार अपने करों की जानकारी नेशनल लोक अदालत दिनांक के पूर्व अपने वार्ड से संबंधित जोन कार्यालय अथवा कार्यालय नगर पालिक निगम से प्राप्त कर सकते है ।

नेशनल लोक अदालत दिवस में निम्न स्थानों पर राशि जमा कर छूट का लाभ प्राप्त करें :-

क्रमांक	जोन कार्यालय का पता	सम्मिलित वार्ड
1	कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे धवारी सतना	01,02,03,04,26,27,28,29,30,31,32,33,34
2.	मेघदूत होटल के पीछे लालता चौक सतना	25,35,36,38,39,40,41
3	शुक्ला बरदाडीह सतना	05,06,07,08,09,10,11
4	पानी की टंकी के पास नई बस्ती सतना	12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
5	सामुदायिक भवन टिकुरिया टोला सतना	22,23,24,37,42,43,44,45
6	मुख्यालय विवेकानन्द भवन नगर पालिक निगम सतना	1 से 45

आयुक्त
नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)